संख्या–3ए–3–भत्ता–01 / 2025–......7953.../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–15-07-2025

विषयः– बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम रु० 25,000/-, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के बम निरोधक दस्ता द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों यथा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त महानुभावों के परिभ्रमण एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान तथा दरभंगा एयरपोर्ट, महाबोधि मंदिर, श्रीविष्णुपद मंदिर का प्रतिदिन, एण्टी–सबोटेज जाँच का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। साथ ही, राज्य में आतंकवादी, नक्सली एवं आपराधिक मामलों में एण्टी–सबोटेज जाँच तथा जिलों में बरामद बम एवं आई०ई०डी० अथवा एन०आई०ए० एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बरामद आई०ई०डी० को निष्क्रिय करने जैसा जोखिम भरा कार्य बम निरोधक दस्ता द्वारा किया जाता है।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1539, दिनांक–12 / 02 / 2019 द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स एवं विशेष सुरक्षा दल के कर्मियों / पदाधिकारियों को प्रोत्साहन / विशेष भत्ता का पुनरीक्षण किया गया है। किन्तु, बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को वर्त्तमान में कोई जोखिम भत्ता अनुमान्य नहीं है। इस दस्ता की कार्य की प्रकृति और इसमें निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% अधिकतम रु० 25,000/- प्रतिमाह जोखिम भत्ता अनुमान्य किये जाने का अनुरोध प्रशासी विभाग / पुलिस मुख्यालय द्वारा किया गया है।

3. इस संबंध में गठित वित्त विभागीय समिति द्वारा भी बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% अधिकतम रु० 25,000 / – प्रतिमाह विशेष / प्रोत्साहन भत्ता अनुमान्य किए जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त आलोक में बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को जोखिम भत्ता अनुमान्य किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम रु० 25,000/-, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति दी जाती है। यह भत्ता पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को अनुमान्य होगा।

5. उक्त जोखिम भत्ता संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

15/7/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

कृ.पृ.उ.......

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2025 7953/वि० पटना, दिनांकः 15-07-2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.7.25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2025 7953/वि० पटना, दिनांकः 15-07-2025

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.7.25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2025 7953/वि० पटना, दिनांकः–15-07-2025

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.7.25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2025 7953/वि० पटना, दिनांकः–15-07-2025

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.7.25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2025 7953/वि० पटना, दिनांकः–15-07-2025

प्रतिलिपिः–प्रभारी ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15.7.25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—01 / 2025 —7953/**वि०**   पटना, दिनांकः— 15-07-2025

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक—15.07.2025** के **मद संख्या—17** में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.7.25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।